RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ७(४)] बुधवार, मार्च १५ २०१७/फाल्गुन २४, शके १९३८ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभामें दिनांक १५ मार्च २०१७ ई.को पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. VII OF 2017.

A BILL
TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 2005.

विधानसभा का विधयेक क्रमांक ७ सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और **इसलिए**, महाराष्ट्र राज्य

सन् २०१७ का महा. अध्या. ४।

पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, ९ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडळ के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में एतदव्दारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए ।

(२) यह ९ जनवरी २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् २००६ का महा. ३४ की धारा ३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) में, " छह सदस्य, प्रत्येक में से एक सदस्य " शब्दों के स्थान में, " आठ सदस्य, प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य " शब्द रखे जायेंगे । सन् २००६ का महा. ३४।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र.४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसिन किया जाता है। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) राज्य के भीतर सरकार तथा अन्य स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के अधीन की सेवाओं में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुनिश्चिति करने के लिये राज्य स्तरिय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया था। आयोग, पिछड़े वर्गों की सूची में किन्ही अन्य वर्ग का समावेश करने के लिये ग्रहण, जाँच, पड़ताल तथा सिफारिशों का विचार करेगा और उसमें किसी वर्ग के अत्याधिक समावेश तथा कम समावेश विषयक शिकायतों की भी जाँच करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३, की उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसार, उक्त आयोग में एक अध्यक्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधिश है या था अनुभवसिद्ध अनुसंधान के अनुभव से एक सामाजिक वैज्ञानिक, और छह सदस्यों, राज्य के छह राजस्व विभागों में से प्रत्येक एक सदस्य, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान है, से मिलकर बनेगा।

२. पिछड़े वर्गों में उनके वर्गों का समावेश करने के लिये नागरिकों के कई वर्ग सरकार को निवेदन कर रहे है साथ ही लोगों के प्रतिनिधियों ने पिछड़े वर्गों में नागरिकों के कतिपय समूहों के समावेश के लिये उनके प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये है। आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकार धारा ३(२) (ग) में विनिर्दिष्ट उक्त आयोग के सदस्यों की संख्या छह से बढाकर आठ करना, इष्टकर समझती है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके इन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) में संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा ९ जनवरी २०१७ को, महाराष्ट्र राज्य पिछडा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ प्रख्यापित किया था ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडळ के अधिनियम में बदलना है ।

राजकुमार बडोले,
सामाजिक न्याय तथा
विशेष सहायता मंत्री ।

मुंबई,
दिनांकित ८ मार्च, २०१७।

वित्तीय ज्ञापन

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, २०१७ का खंड २, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ग) में यथा उपबंधित, राज्य सरकार द्वारा, नामनिर्देशित किये जाने वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की संख्या, छह से आठ तक बढाने के लिये, उपबंध करती हैं। आवर्ती परिव्यय, जो उक्त अतिरिक्त सदस्यों को देय मानदेय और भत्तों के कारण, राज्य के समेकित नीधि मे से पूरा किया जायेगा, वह राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में इस विधेयक के अधिनियमिति पर दो लाख चालिस हजार रुपये होगा।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २००७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग (सुधारणा) विधेयक, २०१७ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १५ मार्च २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.